



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 186 राँची, शुक्रवार, 22 मार्च, 2024 (ई०)

2 चैत्र, 1946 (श०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

25 जनवरी, 2024

संख्या-11/स्था०रा०पि०व०आ०-01/2012 (खंड-1) का० 508--झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9 में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु श्री केशव महतो कमलेश, पिता- स्व० सुखराम महतो, लीची बगान, पो०-नामकुम, लोवाडीह, राँची को राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का “समाज विज्ञानी” मनोनीत किया जाता है ।

संख्या-11/स्था०रा०पि०व०आ०-01/2012 (खंड-1) का० 509--झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9 में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु श्री नंद किशोर मेहता, पिता-स्व० रामलाल मेहता, निपुण पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम-टिकराटोली, पो०-पिस्का नगड़ी, थाना-नगड़ी, राँची को राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का “सदस्य” मनोनीत किया जाता है ।

संख्या-11/स्थांरापिंवआ-01/2012 (खंड-1) कां 510--झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9 में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु श्री लक्ष्मण यादव, पिता-श्री कमल यादव, ग्राम-होतवाग, पो०-पोछरा, लातेहार को राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का "सदस्य" मनोनीत किया जाता है ।

2. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-4 के अधीन इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की होगा तथापि, वे राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर कार्यभार से किसी भी समय इस्तीफा दे सकेंगे। राज्य सरकार, अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के आलोक में इनको कभी भी हटा सकेगी ।

3. पदभार ग्रहण के पूर्व किसी अन्य आयोग/जाँच समिति आदि का प्रभार परित्याग करना आवश्यक होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव ।
